न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2023 **दायर दिनांकः 20.07.2023**

उनवान

1. संतोष आयु 48 वर्ष पुत्री गोपाल पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी छजावा हाल अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं.

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 27.02.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छजावा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 151 के ख0न0 744 का रकबा 0.05 है०, ख०न० 751 का रकबा 0.06 है०, ख0न0 752 का रकबा 0.31 है०, ख०न० 753/1465 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.46 है० आराजी प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता हैं। नकल जमाबन्दी नवीन खाता संख्या 151 साथ में संलग्न हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थीया का नाम खाते में गलती से संतोष के स्थान पर सदमाया दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का सही नाम संतोष हैं प्रार्थीया के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा ग्राम पंचायत ढोटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीया का सही नाम संतोष दर्ज हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा प्रार्थीया का नाम संतोष के स्थान पर सदमाया दर्ज करने की त्रुटि की हैं जिसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीया का नाम संतोष के स्थान पर सदमाया दर्ज करने की त्रुटि आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने की हैं इसलिए प्रार्थीया आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को सही करवाने की अधिकारी हैं। प्रार्थीया ने उक्त वर्णित आराजी में नाम सदमाया के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:06:02 IST
Reason: SelfAttested

संतोष दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को दिया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीया का नाम सदमाया के स्थान पर संतोष दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। साक्ष्य प्रार्थीया के तहत शपथ पत्र Pw-1 संतोष पुत्री गोपाल पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी छजावा व Pw-2 सूरजमल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी छजावा पेश किए गए तथा शपथ पत्र Pw-1 व Pw-2 के बयान लेखबद्व किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/141 दिनांक 15.01.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्राथीर्या की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल ढोटी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 151, आधार कार्ड संतोष, जन आधार कार्ड संतोष, राशन कार्ड संतोष बाई, पेन कार्ड संतोष मतदाता पहचान पत्र संतोष बाई, बैंक डायरी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अटरू, ग्राम पंचायत ढोटी प्रमाण पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य प्रार्थिया, शपथ पत्र सहखातेदार सूरजमल तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल छजावा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 151 के ख0न0 744 का रकबा 0.05 है०, ख०न० 751 का रकबा 0.06 है०, ख0न0 752 का रकबा 0.31 है०, ख०न० 753/1465 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.46 है० आराजी में सह खातेदार सदमाया पुत्री गोपाल के स्थान पर संतोष उर्फ सदमाया पुत्री गोपाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:06:02 IST
Reason: Self Attested

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल छजावा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 151 के ख0न0 744 का रकबा 0.05 है०, ख०न० 751 का रकबा 0.06 है०, ख0न0 752 का रकबा 0.31 है०, ख०न० 753/1465 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.46 है० आराजी में सह खातेदार सदमाया पुत्री गोपाल के स्थान पर संतोष उर्फ सदमाया पुत्री गोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:06:02 IST
Reason: SelfAttested